चार श्रम संहिताएं हुई लागू

श्रम की चौगुनी शक्ति... सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा

जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की है क्योंकि किसी की मेहनत, किसी की सोच, किसी के जोश और हर श्रमिक के योगदान से नया भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'श्रमेव जयते' के इसी मंत्र से चाक-चौबंद चार श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 को लागू कर दी गई। ये सुधार देश के हर श्रमिक को सशक्त, सुरक्षित और सम्मानित बनाने की दिशा में है बड़ा कदम...

श्रम करने वाला श्रमिक एक श्रमयोगी है। वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के कई समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण और प्रतिष्ठा देने की जरूरत के साथ ही शासन की व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता रही। सामाजिक जीवन में श्रम एवं श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रम योगी का गौरव राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। उसी दिशा में एक प्रयास के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य

संहिता 1 वेतन संहिता 2019

वेतन संहिता, 2019 का उद्देश्य चार मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को सरल और तर्कसंगत बनाना है। इसका लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करना है।

प्रमुख मुद्दे

- वेतन संहिता, 2019 के तहत नियमों की संख्या 163 से घटाकर 58, फॉर्मों की संख्या 20 से घटाकर 6 और रजिस्टरों की संख्या 24 से घटाकर 2 कर दी गई है।
- **न्यूनतम मजदूरी** : यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सुनिश्चित करती है।
- **मजदूरी निर्धारण** : सरकार श्रमिकों के कौशल स्तर भौगोलिक क्षेत्रों और नौकरी की स्थितियों पर विचार कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगी। पहले, न्यूनतम वेतन केवल अनुसूचित रोजगारों पर लागू होता था, जो करीब 30% कार्यबल को कवर करता था।
- **लैंगिक समानता** : समान कार्य के लिए भर्ती, मजदूरी और रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
- **मजदूरी भुगतान** : पहले केवल 24,000 रुपए प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में लागू थे, अब वेतन सीमा से परे सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- **ओवरटाइम मुआवजा** : नियोक्ता नियमित कार्य घंटों से अधिक किए गए किसी भी कार्य के लिए, सामान्य मजदूरी के दोगुने से कम दर पर ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं कर सकता।
- **एक राष्ट्र, एक वेतन संहिता** : चार मौजूदा वेतन कानूनों को एक में समाहित करती है, जिसमें वेतन, श्रमिक, कर्मचारी आदि की एक समान परिभाषा है।

“श्रमेव जयते! हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिलेगा।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

शर्त संहिता, 2020 को 21 नवंबर, 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इसने मौजूदा 29 श्रम कानूनों की जगह ली है। यह श्रम नियमावली को आधुनिक बनाती है और मजदूरों की भलाई एवं श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़ती है। यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के साथ ही उद्योग-अनुकूल बनाने की भी नींव रखेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।

15 अगस्त 2015 को लाल किले के प्राचीर से श्रमेव जयते का आह्वान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए कहा कि ये कोड श्रमिक भाई-बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही, ये बेहतर और लाभकारी

संहिता 2
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता इस तथ्य को स्वीकार करती है कि श्रमिक का अस्तित्व उद्योग के अस्तित्व पर निर्भर करता है। यह सौहार्द एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।

प्रमुख मुद्दे

- ✓ **अनुपालन बोझ घटा** : नियमों की संख्या 105 से घटकर 51, फार्म की संख्या 37 से घटकर 18 और रजिस्टरों की संख्या 3 से घटकर शून्य हो गई है।
- ✓ **निश्चित अवधि का रोजगार** : मजदूरी और लाभों में पूर्ण समानता, समय-सीमा वाले अनुबंधों की अनुमति। एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता।
- ✓ **पुनः कौशल निधि** : छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 15 दिनों की मजदूरी के बराबर राशि का योगदान कर निधि स्थापित।
- ✓ **ट्रेड यूनियन की मान्यता** : 51% सदस्यता वाले यूनियन को समझौताकारी यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी।
- ✓ **श्रमिक की विस्तारित परिभाषा** : कर्मचारियों, पत्रकारों और 18,000 रुपये प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारी शामिल।
- ✓ **महिलाओं का प्रतिनिधित्व** : लैंगिक-संवेदनशील मामले निपटारे के लिए शिकायत समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
- ✓ **घर से काम का प्रावधान** : पारस्परिक सहमति से सेवा क्षेत्रों में अनुमति।
- ✓ **न्यायाधिकरण** : विवाद निपटारे के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य से बने दो-सदस्यीय न्यायाधिकरण।
- ✓ **सीधा न्यायाधिकरण पहुंच** : पार्टियां 90 दिनों के भीतर विफल सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरणों से संपर्क कर सकती हैं।

संहिता 3
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता में मौजूदा नौ सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को शामिल किया गया है। यह संहिता सभी श्रमिकों को जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और भविष्य निधि लाभों को कवर करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रमुख मुद्दे

- ✓ **समयबद्ध ईपीएफ जांच** : ईपीएफ जांच और वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए पांच साल की समय सीमा निर्धारित।
- ✓ **घटी हुई ईपीएफ अपील जमा राशि** : ईपीएफओ के आदेशों के खिलाफ अपील करने वाले नियोक्ताओं को अब आकलन की गई राशि का केवल 25% जमा करना होगा।
- ✓ **निर्माण उपकर के लिए स्व-मूल्यांकन** : नियोक्ता अब बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में उपकर देनदारियों का स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं।
- ✓ **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशन** : सामाजिक सुरक्षा कवरेज की नई परिभाषाएं शामिल की गई हैं - 'एग्रीगेटर', 'गिग वर्कर', और 'प्लेटफॉर्म वर्कर'।
- ✓ **सामाजिक सुरक्षा निधि** : असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों को कवर करने वाली योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक समर्पित निधि प्रस्तावित।
- ✓ **आश्रितों की विस्तारित परिभाषा** : दादा-दादी तक बढ़ाया गया। महिला कर्मचारियों के आश्रित सास-ससुर भी शामिल।
- ✓ **मजदूरी की एक समान परिभाषा** : 'मजदूरी' में अब मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल हैं।
- ✓ **यात्रा दुर्घटनाएं शामिल** : घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा में होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार-संबंधित माना जाता है।
- ✓ **ग्रेच्युटी** : पात्रता अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया है।

अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माता-बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी का मानना है कि इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा। भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए-नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की यात्रा को भी तेज गति मिलेगी।

देश के कई श्रम कानून आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती दौर (1930–1950) में बनाए गए थे। उस समय अर्थव्यवस्था और काम की दुनिया असल में बहुत अलग थी। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अधिकतर देशों ने हाल के दशकों में अपने श्रम से जुड़े नियमों को बेहतर और मजबूत किया, वहीं भारत 29 केंद्रीय श्रम

संहिता 4

कामकाजी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा शर्तें संहिता 2020

यह संहिता 13 केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल कर, सरलीकरण और युक्तिकरण के बाद तैयार की गई है। यह श्रमिक अधिकार और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करती है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत का श्रम बाजार अधिक कुशल, निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा।

प्रमुख मुद्दे

- ✓ **एकीकृत पंजीकरण** : इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए 10 कर्मचारियों की एक समान सीमा निर्धारित।
- ✓ **खतरनाक काम तक विस्तार** : सरकार इस संहिता के प्रावधानों को एक भी कर्मचारी वाले किसी भी प्रतिष्ठान तक बढ़ा सकती है।
- ✓ **सरलीकृत अनुपालन** : प्रतिष्ठानों के लिए एक लाइसेंस, एक पंजीकरण और एक रिटर्न का ढांचा पेश।
- ✓ **प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा** : प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा में अब वे श्रमिक शामिल हैं जो सीधे, ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित हैं या अपने आप प्रवास करते हैं।
- ✓ **स्वास्थ्य** : कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- ✓ **नियुक्ति पत्र** : पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा को दर्शाते हुए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
- ✓ **महिलाओं को रोजगार**: महिलाएं सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात के घंटों में सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ काम कर सकती हैं।
- ✓ **विस्तारित मीडिया कर्मी परिभाषा** : 'श्रमजीवी पत्रकार' और 'सिने कर्मकार' में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो-विजुअल उत्पादन के सभी रूपों में कार्यरत कर्मचारी शामिल।
- ✓ **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस** : प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए होगा एक राष्ट्रीय डेटाबेस।
- ✓ **पीड़ित को मुआवजा** : चोट या मृत्यु के मामले में, न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ितों या

उनके कानूनी वारिसों को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

- ✓ **सुरक्षा समितियां** : 500 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता-श्रमिक प्रतिनिधित्व के साथ सुरक्षा समितियों का गठन करेंगे।
- ✓ **सामाजिक सुरक्षा निधि** : असंगठित श्रमिकों के कल्याण और लाभ वितरण के लिए एक निधि की स्थापना की गई है।

> **“ श्रम सुधारों से समय पर वेतन, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ज्यादा अधिकार और युवाओं के साथ नारी शक्ति के लाभ भी सुनिश्चित हुए हैं।**
>
> **-डॉ. मनसुख मांडविया**
> **केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री**

कानून बिखरा हुआ था और कई हिस्सों में पुराने नियमों के तहत काम करता रहा। बाधा उत्पन्न करने वाले ये फ्रेमवर्क बदलती इकोनॉमिक सच्चाई और रोजगार के बदलते तरीकों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। इससे अनिश्चितता पैदा हुई। मजदूर और इंडस्ट्री दोनों के लिए नियमों का पालन करने का बोझ बढ़ा। चार श्रम कानून को लागू करने से औपनिवेशिक जमाने की संरचना से आगे बढ़ने और आधुनिक वैश्विक ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाने की इस लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया गया है। ये संहिताएं मिलकर मजदूर और कंपनी दोनों को मजबूत बनाते हैं। एक ऐसा श्रमबल तैयार करते हैं जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है, इससे ज्यादा मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर देश बनने का रास्ता बनता है। ■